श्री नवदीप शुक्ला, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के निमित्त दिनांक 19.03.2021 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :—

उपस्थिति :— जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यगण।
(यथा उपस्थिति पंजी में अंकित)

कार्यवाही :—

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी उपस्थित सदस्यगण का स्वागत किया गया एवं तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905/खाद्य, पटना, दिनांक 06.07.2020 एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत कुल 43 (अनुमण्डल भभुआ—28 एवं मोहनियां—15) रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 08/आ०, दिनांक 06.01.2021 द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के साथ—साथ जिले के वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ एवं मोहनियां के कार्यालय में दिनांक 11.01.2021 से 27.01.2021 तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया गया।

उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में निर्धारित अवधि में भभुआ अनुमण्डल में 560 एवं मोहनियां अनुमण्डल में 100 अर्थात कुल 660 आवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त सभी आवेदनों के आलोक में जॉचोपरान्त औपबंधिक मेधा सूची अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां के पत्रांक 81 दिनांक 19.02.2021 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक 126 दिनांक 24.02.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। दिनांक 24.02.2021 को जिला स्तरीय चयन समिति में निर्णय उपरान्त निर्गत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 155/आ० दिनांक 24.02.2021 द्वारा औपबंधिक मेधा सूची जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया, प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरूद्ध दावा/आपत्ति दिनांक 01.03.2021 से 06.03.2021 तक कार्यालय अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, कैमूर में समर्पित करने के संदर्भ में सूचना प्रकाशित किया गया।

उक्त निर्धारित अवधि में भभुआ अनुमण्डल अंतर्गत 95 एवं मोहनियां अनुमण्डल अंतर्गत 19 अर्थात कुल 114 प्राप्त दावा/आपत्ति के आलोक में दिनांक 08.03.2021 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में वर्ष 2018—19 में 240 नई जनवितरण दुकान की रिक्त में चयन हेतु अपनाये गये मानदण्ड के अनुरूप प्राप्त दावा/आपत्ति की समीक्षा की गई। चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राप्त दावा/आपत्ति को जॉच हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाय तथा निदेश दिया गया की दावा/आपत्ति का जॉच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा समकक्ष पदाधिकारी से करवाकर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

दावा/आपत्ति के जॉचोपरान्त समर्पित जॉच एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में जिला चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर सर्वाधिक योग्य पाए गये अभ्यर्थियों का निम्नांकित विवरणी के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया :—

क्र०	प्रखण्ड	पंचायत/वार्ड	रोस्टर के अनुसार रिक्ति की कोटि एवं सं०	अनुज्ञप्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम	पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	भभुआ	नगरपरिषद् वार्ड–25	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–01	सोनी कुमारी, पिता/पति–हेमन्त प्रसाद चौरसिया	वार्ड 25, नगर परिषद्, भभुआ	
2	भभुआ	नगरपरिषद् वार्ड–15	अनारक्षित–01	इरशाद अहमद खॉ, पिता–स्व० अहमद खॉ	वार्ड 15, नगर परिषद्, भभुआ	
3	भभुआ	नगरपरिषद् वार्ड–10	अनुसूचित जाति महिला–01	बिन्दा कुमारी, पिता/पति–विनय कुमार	वार्ड 10, नगर परिषद्, भभुआ	
4	भभुआ	सिकठी	पिछड़ा वर्ग महिला–01	राबिन पटेल, पिता/पति–मिथिलेश कुमार सिंह	ग्राम+पंचायत–सिकठी	
5	भभुआ	डिहरा	अनुसूचित जाति–01	सोनू कुमार रजक, पिता–भीम बैठा	ग्राम–मचियांव, पंचायत–डिहरा	दिव्यांग कोटि
6	भभुआ	अखलासपुर	अनुसूचित जाति–01	प्रेम कुमार शर्मा, पिता–श्री सुबास चन्द्र शर्मा	ग्राम+पंचायत–अखलासपुर	
7	भभुआ	बहुअन	आर्थिक रूप से कमजोर–01	सरिता देवी, पति–सुशील कुमार लाल	ग्राम–खैरा, पंचायत–बहुअन	
8	भभुआ	जागेबरांव	अत्यन्त पिछड़ा–01	रेनू कुमारी, पति–सोनु कुमार	ग्राम+पंचायत–जागेबरांव	
9	भभुआ	रूपपुर	अनारक्षित महिला–01	पूनम कुमारी, पति–परमानंद सिंह	ग्राम–जिगनी, पंचायत–रूपपुर	
10	भभुआ	सिवों	अनारक्षित महिला–01	सुमन कुमारी, पिता/पति–आनन्द मोहन	ग्राम–सैथा, पंचायत–सीवों	
11	रामपुर	जलालपुर	अनारक्षित महिला–01	ज्योति कुमारी, पति–दीपक कुमार पाण्डेय	ग्राम–ठकुरहट, पंचायत–जलालपुर	
12	चैनपुर	सिरबिट	पिछड़ा वर्ग–01	सावित्रि कुशवाहा, पति–रविन्द्र कुमार सिंह	ग्राम–मसोई, पंचायत–सिरबिट	
13	चैनपुर	जगरियां	अनुसूचित जाति महिला–01	मीरा कुमारी, पति–मनोज कुमार संगम	ग्राम–बिड्डी, पंचायत–जगरियां	
14	चैनपुर	हाटा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–01	शबनम सुल्तान, पति–अब्दुल रहमान अंसारी	ग्राम–हाटा, पंचायत–हाटा	
15	चैनपुर	मदुरना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला–01	सुनिता देवी, पिता/पति–मनोज कुमार सिंह	ग्राम–सिरसी, पंचायत–मदुरना	
16	चैनपुर	चैनपुर	अनारक्षित–01	प्रमोद कुमार पाण्डेय, पिता–श्री बालमुकुन्द पाण्डेय	ग्राम+पंचायत–चैनपुर	
17	चैनपुर	नंदगांव	अनुसूचित जाति–01	मदन राम, पिता–स्व० बैजनाथ राम	ग्राम–नरसिंहपुर, पंचायत–नंदगांव	
18	चैनपुर	इसियां	अनारक्षित–01	राजन कुमार, पिता–बुधई खरवार	ग्राम+पंचायत–इसियां	
19	चैनपुर	मझुई	अनारक्षित–01	मंजय बिन्द, पिता–बदलु बिन्द	ग्राम–शिवपुर, पंचायत–मझुई	
20	चांद	चौरी	पिछड़ा वर्ग–01	चन्दन कुमार यादव, पिता–प्रेमचन्द यादव	चौरी, चांद	
21	अधौरा	दीघार	अनारक्षित–01	बेबी कुमारी, पिता/पति–बीरेन्द्र कुमार	ग्राम–चौधरना, पंचायत–दीघार	

22	अधौरा	डुमरावां	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01	सुभाष कुमार गुप्ता, पिता–शोभनाथ साह	ग्राम–लोन्दा, पंचायत–डुमरांवा	
23	अधौरा	जमुनीनार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01	आसमीन नाज, पिता/पति–फिरोज अंसारी	ग्राम+पंचायत–जमुनीनार	
24	अधौरा	जमुनीनार	अनारक्षित महिला–01	मीरा देवी, पति–धनंजय प्रसाद	ग्राम–सलेयां, पंचायत–जमुनीनार	
25	अधौरा	सड़की	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–01	–	–	इस कोटि से कोई आवेदक नहीं।
26	अधौरा	अधौरा	अनारक्षित–01	शम्भुनाथ सिंह, पिता–रामनाथ सिंह	ग्राम+पंचायत–अधौरा	
27	अधौरा	बड़वानकला	अनुसूचित जाति–01	अरविन्द कुमार, पिता–शिव मंगल राम	ग्राम–बड़वान खुर्द, पंचायत–बड़वान कला	
28	मोहनियां	डंडवास	अनारक्षित–01	–	–	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।
29	मोहनियां	अकोढ़ी मेला	पिछड़ा वर्ग–01	मेनिका कुमारी, पति–श्री राजेश यादव	ग्राम+पंचायत–अकोढ़ी मेला	
30	मोहनियां	पानापुर	पिछड़ा वर्ग–01	प्रदीप यादव, पिता–रामधारी सिंह यादव	ग्राम+पंचायत–पानापुर	
31	मोहनियां	बघिनी	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01	मुकेश कुमार गुप्ता, पिता–लखु प्रसाद गुप्ता	ग्राम–अधवार, पंचायत–बघिनी	
32	रामगढ़	सिझुआं	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–01	सरिता कुमारी, पति–मोहन पाल	ग्राम–गोराडीह, पंचायत–सिझुआ	
33	रामगढ़	अहिवास	अनारक्षित–01	अरविन्द कुमार पाण्डेय, पिता–राधेश्याम पाण्डेय	ग्राम–नथुआं, पंचायत–अहिवास	
34	रामगढ़	सिसौड़ा	अनुसूचित जाति महिला–01	–	–	रिक्ति के विरूद्ध दो आवेदन प्राप्त हुए, परन्तु दोनों आवेदक अयोग्य पाये गये।
35	रामगढ़	देवहलियां	अनु० जनजाति महिला–01	सीमा देवी, उर्फ सीमा शर्मा	ग्राम–मटियारी, पंचायत–देवहलिया	
36	रामगढ़	महुअर	अनारक्षित–01	बजरंगी कुमार राम, पिता–स्व० शिवचन्द राम	ग्राम–रूपानंदपुर, पंचायत–महुअर	
37	नुआंव	कोटा	अनुसूचित जाति–01	अमिताभ बच्चन राम, पिता–जगदीश राम	ग्राम–चौबेपुर, पंचायत–कोटा	
38	नुआंव	मुखरांव	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–01	–	–	रिक्ति के विरूद्ध कोई आवेदन प्राप्त नहीं।
39	नुआंव	अखिनी	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01	रवि कुमार गुप्ता, पिता–रामधनी गुप्ता	ग्राम–तियरा, पंचायत–अखिनी	
40	दुर्गावती	खड़सरा	पिछड़ा वर्ग महिला–01	नीतु कुमारी, पति–धर्मेन्द्र सिंह	ग्राम–धनेछा, पंचायत–खड़सरा	
41	दुर्गावती	डुमरी	पिछड़ा वर्ग–01	पंकज लता कुमारी, पिता/पति–अमरनाथ सिंह	ग्राम–कबिलासपुर, पंचायत–डुमरी	
42	दुर्गावती	खजुरा	अनुसूचित जनजाति–01	प्रवीण कुमार, पिता–बचाउ राम	ग्राम–लरमा, पंचायत–खजुरा	

प्रकाशित औपबंधिक सूची के क्रम में प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन उपरांत औपबंधिक सूची से भिन्न चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में विवरण :–

1. अनुमण्डल–भभुआ, प्रखण्ड–भभुआ, पंचायत–सिकठी अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में प्रथम स्थान पर श्रीमती राबिन पटेल थी, परन्तु मायका (उ०प्र०) का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न होने के कारण आवेदिका श्रीमती आशा देवी को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया था, किन्तु प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में जिला चयन समिति ने पाया कि श्रीमती राबिन पटेल सभी अर्हत्ताओं को पूर्ण करती हैं। अतः उनको मेधा सूची में प्रथम स्थान मानते हुए अंतिम रूप से चयनित किया जाता है। (क्रमांक–04)
2. अनुमण्डल–भभुआ, प्रखण्ड–भभुआ, पंचायत–डिहरा अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में प्रथम स्थान पर श्री सत्येन्द्र कुमार राम थे। प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में श्री सोनू कुमार रजक, जो दिव्यांग हैं, को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग आरक्षण का लाभ देते हुए उक्त पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप चयनित किया जाता है। (क्रमांक–05)
3. अनुमण्डल–भभुआ, प्रखण्ड–अधौरा, पंचायत–डुमरांवा अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में मो० शाहनवाज आलम को प्रथम स्थान दिया गया था, किन्तु प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में जिला चयन समिति ने पाया कि श्री सुभाष कुमार गुप्ता सभी अर्हता को पूर्ण करते हैं। फलतः उनको चयनित किया जाता है। (क्रमांक–22)
4. अनुमण्डल–मोहनियां, प्रखण्ड–मोहनियां, पंचायत–डंडवास अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अंकित आवेदक श्री अमित कुमार प्रथम स्थान पर थे। प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां द्वारा प्रतिवेदन/मंतव्य दिया है कि श्री अमित कुमार वार्ड नं0–7 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव हैं तथा लाभ के पद पर हैं। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका–11 (IV) के आलोक में आवेदक निरर्हित है। अतः इनका चयन नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर चयन समिति ने पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन प्राप्त कर चयन करने का निर्णय लिया है। (क्रमांक–28)
5. अनुमण्डल–मोहनियां, प्रखण्ड–मोहनियां, पंचायत–अकोढ़ी मेला अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अंकित आवेदिका श्रीमती तेतर कुमारी प्रथम स्थान पर थी। प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनियां द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती तेतर कुमारी, कम्यूनिटी मोबलाईजर के पद पर कार्यरत हैं तथा इनके पति श्री हरीचरण सिंह आटा चक्की मिल का संचालन करते हैं। इस प्रकार इनका चयन नहीं कर मेधा सूची के अनुसार सुयोग्य अभ्यर्थी श्रीमती मेनिका कुमारी का चयन किया गया। (क्रमांक–29)
6. अनुमण्डल–मोहनियां, प्रखण्ड–नुआंव, पंचायत–कोटा अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अंकित आवेदक श्री धनेज कुमार प्रथम स्थान पर थे। प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नुआंव द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के भाई श्री सुकबिलास राम का जन वितरण प्रणाली की इसी पंचायत में दुकान कार्यरत है। अन्य 05 (पांच) आवेदकों में से श्री अमिताभ बच्चन राम का कम्प्यूटर ज्ञान प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण पूर्व में चयन नहीं किया गया था, जबकि इनके आवेदन पत्र में कम्प्यूटर ज्ञान का तथ्य अंकित है। दावा/आपत्ति क्रम में इनके द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। चयन समिति ने इनके दावा/आपत्ति स्वीकार करते हुए मापदण्ड के अनुरूप श्री राम को चयन करने का निर्णय लिया। (क्रमांक–37)

7. अनुमण्डल–भभुआ, प्रखण्ड–अधौरा, पंचायत–सारोदाग में प्राप्त विभिन्न दावा/आपत्तियों के निस्तारण के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ स्वयं जॉच कर तीन दिनों के अंदर अंतिम रूप से सुयोग्य अभ्यर्थी का चयन करते हुए जिला चयन समिति को प्रतिवेदित करेंगे।

- बैठक में निदेश दिया गया कि भविष्य में इन चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता परिलक्षित होने की स्थिति में संबंधित जॉच पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार माने जायेंगे। अतः अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में आवेदन/संलग्न सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण–पत्र से सत्यापन कराते हुए तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जॉचोपरान्त विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् आवेदक/आवेदिका से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करते हुए कैम्प के माध्यम से दिनांक 05.04.2021 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।
- **शर्तें** :– सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अनुशंसित आवेदक/आवेदिका को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी निम्नांकित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो लेना सुनिश्चित करेंगे :–
    1. आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र इत्यादि के सत्यापन कराने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करें।
    2. आवेदक/आवेदिका से इस बात का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दण्ड नहीं दिया गया है तथा आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन/लंबित नहीं है।
    3. अनुज्ञप्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है, तो संबंधित आवेदक/आवेदिका की अनुज्ञप्ति रद्द कर विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।
    4. संगत विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक/आवेदिका जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अन्य सभी वांछित अर्हता धारित करते हैं।
    5. अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 11 के आलोक में निरर्हित नहीं है। यदि चयनित अभ्यर्थी बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों में विरोधाभास (Contradiction) पाया जाता है, तो उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण औचित्य के साथ पुनर्विचार हेतु जिला चयन समिति के समक्ष प्रतिवेदित करेंगे।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
जिला सह० पदा० कैमूर (भभुआ)।	जिला कृषि पदा० कैमूर (भभुआ)।	अनु० पदा०, भभुआ।	अनु० पदा०, मोहनियां	जिला आ० पदा०, कैमूर (भभुआ)।	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक–X-06-2021/ ....2 65..../आ०, दिनांक ....26.03.2021....

प्रतिलिपि :– सभी चयनित आवेदकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/3/2021

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।